संख्या–1382/18–4–2010–35(बजट)/07

प्रेषक,

राम किशोर
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 03 मई, 2010

विषयः–वायुयान भाड़ा सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों के पत्र संख्या–123/निर्यात/.22/ पत्र0–2/ 2010–11. दि0 19.4.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वायुयान भाड़ा सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 40,000,00.00 (रूपये चालिस लाख मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के प्रथम 06 माह की आवश्यकता के लिये रू0 20,000,00.00 (रूपये बीस लाख मात्र) को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि यथावश्यक सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जाय। उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में शासन की अनुमति से पूर्व स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के कियान्वयन हेतु नही किया जायेगा ।

3– योजना का कार्यान्वयन एवं इस संबंध में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित कराने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 एवं शासन को प्रपत्र बी–एम–13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

5– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

6– योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय हुई धनराशि रू0 5.00 लाख का व्यय विवरण 01 माह के भीतर उपलब्ध कराया जाय।

–2/–

7— उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्त 2010—11 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत लेखा शीर्षक—"2851—ग्राम तथा उद्योग—आयोजनागत—800—अन्य व्यय,14—वायुयान भाड़ा सहायता योजना—27—सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या—बी—1—951/दस—2010—231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किया जा रहा हैं ।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु सचिव ।

संख्या— 1302 (1)/18—4—2010—8(58)/83, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. कोषाधिकारी कानपुर ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—1/ लघु उद्योग अनुभाग—3
6. वित्त नियंत्रक,उद्योग,उद्योग निदेशालय,कानपुर।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव ।